भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3186

जिसका उत्तर 28 मार्च, 2023 को दिया गया

अनुसूचित जनजाति के कल्याण पर खर्च की गई राशि

3186. श्रीमती फूलो देवी नेतम:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान बजट के विवरण 10ख में दिए गए अनुसूचित जनजाति कल्याण मद से मंत्रालय को कुल कितनी राशि आवंटित की गई है;

(ख) उक्त राशि किन-किन योजनाओं में खर्च की गई है, उनके नाम का ब्यौरा क्या है; और

(ग) योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित अनुसूचित जनजातियों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ग) : एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) [समाहित पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी)] तथा दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) मुख्य रूप से क्रमशः शहरी क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों के उप-पारेषण तथा वितरण नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण एवं संवर्धन पर संकेन्द्रित थीं और इनकी सार्वभौमिक कवरेज थी। आईपीडीएस/आर-एपीडीआरपी/डीडीयूजीजेवाई बजट के आदिवासी क्षेत्र उपयोजना (टीएएसपी) घटक के अंतर्गत टीएएसपी घटक के लिए अप्रत्यक्ष आनुपातिक उपयोग के रूप में राज्य की एसटी आबादी (आईपीडीएस/डीडीयूजीजेवाई के लिए वर्ष 2011 और आर-एपीडीआरपी के लिए वर्ष 2001 के जनगणना आंकड़ों के अनुसार) की प्रतिशतता के आधार पर राज्य विद्युत यूटिलिटियों को निधियां जारी की गईं थीं। टीएएसपी घटक के अंतर्गत एमओपी द्वारा जारी निधियों की तुलना में संशोधित अनुमान (आरई) चरण में आबंटित बजट के स्कीम-वार और वर्ष-वार ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

(करोड़ रुपये में)

वित्तीय वर्ष	**आईपीडीएस**		**डीडीयूजीजेवाई**	
	बजट	**जारी की गई निधि**	**बजट**	**जारी की गई निधि**
2019-20	454.11	356.44	349.68	349.68
2020-21	165.00	165.00	227.00	226.96
2021-22	318.00	316.60	405.92	405.92

देश भर में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) के अंतर्गत कुल 2.86 करोड़ इच्छुक घरों (वित्तीय वर्ष 2021-22 में डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत संस्वीकृत अतिरिक्त घरों सहित) का विद्युतीकरण किया गया था। इस स्कीम के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों की आबादी भी लाभान्वित हुई।

नई शुरू की गई स्कीम अर्थात संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के अंतर्गत, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान टीएएसपी शीर्ष के अंतर्गत आरई चरण में 388.74 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। चूंकि, यह स्कीम जून, 2021 में शुरू की गई थी, इसलिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में आरडीएसएस के टीएएसपी घटक के अंतर्गत किसी प्रकार का संवितरण नहीं किया जा सका।

****